

**न्यायालय:- प्रथम अपर जिला न्यायाधीश, गोहद**

**जिला भिण्ड (म0प्र0)**

**(समक्ष – सतीश कुमार गुप्ता)**

**नियमित व्य0अपी0क्र0-22/14**

**प्रस्तुति दिनांक-22/07/14**

1. प्रबल प्रताप सिंह पुत्र सोवरन सिंह  
भदोरिया

2. देवेंद्र सिंह पुत्र सोवरन सिंह भदोरिया,  
दोनों निवासी ग्राम जसरथपुरा, परगना  
गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----अपीलार्थीगण/वादीगण

**// विरुद्ध //**

1. रनधीर सिंह पुत्र गजेंद्र सिंह ठाकुर

2. दिनेश सिंह पुत्र गजेंद्र सिंह ठाकुर,  
दोनों निवासी ग्राम जसरथपुरा, परगना  
गोहद जिला भिण्ड (म0प्र0)

-----प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण

अपीलार्थीगण द्वारा— श्री भूपेंद्र कांकर  
अधिवक्ता।

प्रत्यर्थी क्रमांक 1 व 2 द्वारा — श्री के0सी0  
उपाध्याय अधिवक्ता।

**// निर्णय //**

**(आज दिनांक 23/02/18 को घोषित)**

01. अपीलार्थीगण की ओर से यह व्यवहार अपील धारा 96 सी0पी0सी0 के अंतर्गत द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग-2, गोहद जिला भिण्ड (श्री एस0के0 तिवारी) द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक 167-ए/12 में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2014 से व्यथित होकर प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत स्थाई निषेधाज्ञा बावत् वादपत्र को निरस्त किया गया है।

**02.** प्रकरण में यह अविवादित है कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 485 व 684 रकवा क्रमशः 1.070 व 0.940 हेक्टेयर (अत्र पश्चात् केवल वादग्रस्त भूमि) ग्राम जसरथपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि से सटकर प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 486 व 683 रकवा क्रमशः 0.70 व 0.18 हेक्टेयर स्थित है।

**03.** वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 485 रकवा 1.070 हेक्टेयर तथा सर्वे क्रमांक 684 रकवा 0.940 हेक्टेयर ग्राम जसरथपुरा परगना गोहद में स्थित है। उक्त भूमि के वादीगण पूर्वजों के समय से रिकॉर्डेड भूमि स्वामी एवं आधिपत्यधारी हैं। इससे लगी हुई प्रतिवादीगण के स्वामित्व की भूमि सर्वे क्रमांक 486 रकवा 0.70 तथा 683 रकवा 0.18 हेक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि पर वादीगण अपने पूर्वजों के समय से खेती करते चले आ रहे हैं और प्रतिवादीगण का विवादित भूमि से कोई संबंध सरोकार नहीं है, फिर भी प्रतिवादीगण जबरन लठ के बल पर कब्जा करने के उद्देश्य से उक्त सर्वे नंबरों की मेड़ व फसल को नष्ट करना चाहते हैं और बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। मामले में प्रतिवादी क्रमांक 3 म0प्र0 शासन औपचारिक पक्षकार है। अतः मामले में वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान किये जाने का निवेदन किया गया है।

**04.** प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादी क्रमांक 1 व 2 की ओर से वादोत्तर प्रस्तुत कर वादीगण के दावे को निरस्त किये जाने का निवेदन इन आधारों पर किया गया है कि वादीगण द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि को गलत रूप से विवादित बताकर दावा पेश किया है। वादग्रस्त भूमि एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त भूमि मिट्टी की खाई/मेड़ से पृथक-पृथक सीमा चिन्ह से सुरक्षित है। प्रतिवादीगण ने वादग्रस्त भूमि को कभी प्रभावित नहीं किया है, बल्कि वादीगण ने केवल प्रतिवादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से एवं प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की जमीन को हड़पने के लिये असत्य आधारों पर दावा पेश किया है, जो निरस्तीय योग्य है। वादीगण द्वारा जान बूझकर प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि को अपनी वादग्रस्त भूमि में मिलाने की गर्ज से उनके मध्य के सीमा चिन्हों को कमजोर किया जा रहा था। इस कारण प्रतिवादीगण ने अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की उक्त भूमि की विधिवत पैमाइश कराई गई है, जिसमें प्रतिवादीगण की

उक्त भूमि के कुछ रकवे पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाना पाया गया है और उक्त सीमांकन के संबंध में वादीगण ने तहसीलदार गोहद के समक्ष आपत्ति पेश की थी, जो कि निरस्त हो चुकी है और प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये सीमांकन को सही माना है। इस कारण से वादीगण, प्रतिवादीगण से रंजिश रखने लगे हैं एवं दुर्भावनावश यह दावा पेश किया है तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को कभी कोई धौंस नहीं दी है। तदनुसार वादपत्र को निरस्त किये जाने का निवेदन किया गया है।

**05.** अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से हस्तगत प्रकरण में अपने पक्ष समर्थन में दस्तावेज प्र0पी0-1 व प्र0पी0-2 प्रस्तुत कर स्वयं वादी/अपीलार्थी प्रबल प्रताप सिंह वा0सा0-1 व साक्षी चरन सिंह तोमर वा0सा0-2 का परीक्षण कराया गया है, जबकि प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण की ओर से अपने बचाव के समर्थन में दस्तावेज प्र0डी0-1 लगायत प्र0डी0-6 प्रस्तुत कर रनधीर सिंह प्र0सा01 व साक्षी सतीश सिंह प्र0सा0-2 का परीक्षण कराया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण को गुण-दोष के आधार पर निराकृत करते हुए वादीगण की ओर से स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत वाद को निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से यह नियमित व्यवहार अपील प्रस्तुत की गई है।

**06.** अपीलार्थीगण की ओर से अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.2014 को विधि-विधान के विपरीत होने, साक्ष्य का विधि सम्मत ढंग से विवेचन किये बिना आलोच्य निर्णय एवं डिक्री साक्ष्य के विपरीत पारित किये जाने से उन्हें अपास्त कर वादीगण/अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत अपील स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की गई है।

**07.** प्रत्यर्थीगण की ओर से आलोच्य निर्णय एवं डिक्री को विधि एवं साक्ष्य के अनुरूप उचित होना दर्शाते हुए अपीलार्थीगण की अपील सारहीन होने से सब्यय निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

**08.** अपील याचिका पर अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री भूपेंद्र कांकर एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री के0सी0 उपाध्याय को सुना गया। अधीनस्थ न्यायालय के व्यवहार वाद क्र0 167-ए/12 (प्रबल प्रताप आदि बनाम रणधीर आदि) के मूल अभिलेख का अवलोकन किया गया।

09. इस प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न उत्पन्न होते हैं:—

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद क्र0 167-ए/12 (प्रबल प्रताप आदि बनाम रणधीर आदि) में पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 24.06.14 विधि एवं तथ्य के विपरीत होकर निरस्ती योग्य है ?
02.	क्या अपीलार्थीगण/वादीगण का दावा स्वीकार किये जाने योग्य है ?

### ।।सकारण निष्कर्ष।।

10. अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता ने अपने इन तर्कों पर अत्यधिक जोर दिया है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 485 व 684 रकवा क्रमशः 1.070 व 0.940 हेक्टेयर वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है, जिस पर वादीगण पूर्वजों के समय से निरंतर काबिज होकर फसल लाभरत हैं और प्रतिवादीगण का उक्त वादग्रस्त भूमि से कोई संबंध व सरोकार नहीं है, इसके बावजूद प्रतिवादीगण, वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त भूमि पर जबरन लट्ठ के आधार पर कब्जा करने के उद्देश्य से उक्त सर्वे नंबरों की मेढ को नष्ट कर एवं सरसों की फसल को बरवाद कर वादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से बेदखल कर कृषि करने में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं और प्रतिवादीगण ने दिनांक 15.11.12 को बेदखल करने की धौंस दी है। उक्त संबंध में वादीगण/अपीलार्थीगण द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष महत्वपूर्ण दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य को पेश किये जाने के बावजूद विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता प्रदान नहीं करने में भूल कारित किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांकित 24.06.14 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है, जबकि प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता का अपने तर्कों में कहना है कि वादीगण द्वारा अपना दावा प्रमाणित नहीं किये जाने से एवं पूर्णतः असत्य आधारों पर पेश किये जाने से विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्य की उचित विवेचना करते हुये दावा को विधिवत निरस्त किया गया है और वादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील भी निरस्त किये जाने योग्य है।

11. उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये अभिलेखगत साक्ष्य सहित संपूर्ण अभिलेख का गहन परिशीलन करने पर पाया जाता है कि वादी



प्रबल प्रताप सिंह वा0सा0-1 ने अपने अभिवचनों के अनुरूप साक्ष्य शपथ पत्र में वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 485 व 684 रकवा क्रमशः 1.070 व 0.940 हेक्टेयर को वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की होना बताते हुये उस पर पूर्वजों के समय से फसल लाभरत होना बताया है और वादी पक्ष के साक्षी चरन सिंह वा0सा0-2 ने भी अपने कथनों में वादी प्रबल प्रताप सिंह वा0सा0-1 के उक्त कथनों को भली भांति पुष्ट किया गया है एवं प्रतिपरीक्षण के दौरान प्रतिवादीगण द्वारा वादी प्रबल प्रताप सिंह वा0सा0-1 एवं साक्षी चरन सिंह वा0सा0-2 के उक्त कथनों को कोई उल्लेखनीय चुनौती नहीं दिये जाने के कारण वे अखंडित श्रेणी के हैं एवं अभिलेख पर वादीगण की ओर से खसरा वर्ष 2010-11 की सत्य प्रतिलिपि प्र0पी0-2 को पेश किया गया है, जिसमें वादग्रस्त भूमि पर कब्जेदार के रूप में वादी पक्ष के नाम का एवं फसल लिये जाने का उल्लेख है और वैसे भी हस्तगत प्रकरण में उभयपक्ष के मध्य इस संबंध में यह अविवादित स्थिति है कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 485 व 684 रकवा क्रमशः 1.070 व 0.940 हेक्टेयर ग्राम जसरथपुरा परगना गोहद जिला भिण्ड में स्थित है एवं उक्त वादग्रस्त भूमि से सटकर प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की भूमि सर्वे क्रमांक 486 व 683 रकवा 0.70 व 0.18 हेक्टेयर स्थित है। अतः मामले में विचारण न्यायालय द्वारा दिये गये निष्कर्ष अनुसार वादीगण द्वारा यह साबित किया जाना अवश्य पाया जाता है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 486 व 683 रकवा 0.70 व 0.18 हेक्टेयर वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की है।

**12. अब मामले में देखना यह है कि—** क्या वादीगण/अपीलार्थीगण विचारण न्यायालय के समक्ष अपनी विश्वासप्रद दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य से यह साबित करने में सफल रहे थे कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर से वादीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा हैं और उक्त तथ्य को साबित मानने में विचारण न्यायालय ने भूल की है।

**13.** उक्त संबंध में अभिलेखगत साक्ष्य सहित प्रकरण के संपूर्ण अभिलेख का गहनता से परिशीलन करने पर पाया जाता है कि वादी पक्ष का अपने अभिवचनों तथा कथनों में कहना है कि प्रतिवादीगण, वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य की उक्त वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 486 व 683 रकवा 0.70 व 0.18 हेक्टेयर पर जबरन लट्ठ के आधार पर कब्जा करने के लिये आमादा हैं और उन्होंने दिनांक 15.11.12 को बेदखल करने की धौंस दी है, लेकिन वादी पक्ष ने अपने अभिवचनों तथा कथनों में यह

कदापि स्पष्ट नहीं किया है कि प्रतिवादीगण ने लट्ठ के बल पर जबरन बेदखल करने का प्रयास कब-कब किया है एवं किन लोगों के समक्ष किया है तथा दिनांक 15.11.12 को बेदखल करने की धौंस किन व्यक्तियों के सामने व किस समय एवं किस स्थान पर दी गई थी। अतः उक्त संबंध में वादी पक्ष के अभिवचन तथा कथन स्पष्ट एवं विनिर्दिष्ट स्वरूप के होना नहीं पाये जाते हैं।

**14.** वादी पक्ष ने अपने अभिवचनों तथा कथनों में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन लट्ठ के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से उक्त सर्वे नंबरों की मेढ़ को नष्ट कर एवं सरसों की फसल को बरवाद कर वादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से बेदखल करने हेतु प्रयास करना बताया है एवं दिनांक 15.11.12 को बेदखल करने की धौंस दिया जाना बताया है, लेकिन अभिलेख पर वादी पक्ष की ओर से ऐसा कोई भी दस्तावेज पेश नहीं किया गया है, जिसके अवलोकन से उक्त संबंध में वादी पक्ष द्वारा पुलिस को अथवा तहसील विभाग को शिकायत किया जाना दर्शित होता हो, जबकि यदि वास्तव में उपरोक्तानुसार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को वादग्रस्त भूमि पर से लट्ठ के बल पर जबरन बेदखल करने का प्रयास किया जाता एवं उक्त संबंध में धौंस दी जाती, तो उक्त संबंध में अवश्य ही वादीगण द्वारा सक्षम फोरम के समक्ष शिकायत की गई होती और तत्संबंध में वादी पक्ष न्यायालय के समक्ष ऐसे दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकता था। अतएव मामले में वादी पक्ष के उक्त अभिवचनों तथा कथनों के विपरीत अनुमान इंगित होता है।

**15.** वादी पक्ष द्वारा अपने अभिवचनों तथा कथनों में प्रतिवादीगण द्वारा जबरन लट्ठ के आधार पर वादग्रस्त भूमि पर कब्जा करने के उद्देश्य से उक्त सर्वे नंबरों की मेढ़ को नष्ट कर एवं सरसों की फसल को बरवाद कर वादीगण को परेशान करने के उद्देश्य से बेदखल करने हेतु प्रयास करना बताया है एवं दिनांक 15.11.12 को बेदखल करने की धौंस दिया जाना बताया है, लेकिन प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा क्रमांक 5 में स्वयं वादी प्रबल प्रताप सिंह वा0सा0-1 ने अपने अभिवचनों तथा कथनों के विपरीत यह प्रकट किया है कि उसका प्रतिवादीगण से कभी कोई झगडा नहीं हुआ है एवं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सीमांकन की रंजिश के कारण उसने दावा पेश किया है तथा पैरा क्रमांक 5 में प्रकट किया है कि उसने प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराये जाने के संबंध में आपत्ति तहसीलदार के यहां पेश की थी, जो कि निरस्त हो गई है। अतः जिरह में प्रकट उक्त

तथ्यों के आधार पर स्वयं वादी प्रबल प्रताप सिंह वा0सा0-1 का अपने अभिवचनों तथा कथनों पर दृढ़तापूर्वक स्थिर नहीं रह जाना, बल्कि भली भांति खंडित हो जाना प्रकट है।

**16.** उपरोक्त के विपरीत प्रतिवादी रनधीर सिंह प्र0सा0-1 ने वादी पक्ष के अभिवचनों तथा कथनों के खंडन में मामले में ली गई प्रतिरक्षा के अनुरूप स्पष्ट रूप से कथन किये हैं कि वादीगण द्वारा जान बूझकर प्रतिवादीगण के स्वामित्व व आधिपत्य की उक्त भूमि को अपनी वादग्रस्त भूमि में मिलाने की गर्ज से उनके मध्य के सीमा चिन्हों को कमजोर किया जा रहा था। इस कारण प्रतिवादीगण ने अपने स्वत्व एवं आधिपत्य की उक्त भूमि की विधिवत पैमाइश कराई गई है, जिसमें प्रतिवादीगण की उक्त भूमि के कुछ रकवे पर वादीगण द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाना पाया गया है और उक्त सीमांकन के संबंध में वादीगण ने तहसीलदार गोहद के समक्ष आपत्ति पेश की थी, जो कि निरस्त हो चुकी है और प्रतिवादीगण द्वारा कराये गये सीमांकन को सही माना है। इस कारण से वादीगण, प्रतिवादीगण से रंजिश रखने लगे हैं एवं दुर्भावनावश यह दावा पेश किया है तथा प्रतिवादीगण ने वादीगण को कभी कोई धौंस नहीं दी है।

**17.** प्रतिवादी पक्ष के साक्षी सतीश सिंह प्र0सा0-2 सहित सीमांकन की कार्यवाही करने वाले राजस्व निरीक्षक विनोद सिंह तोमर प्र0सा0-3 ने भी अपने साक्ष्य शपथ पत्र में प्रतिवादी रनधीर सिंह प्र0सा0-1 के उक्त कथनों का भली भांति समर्थन किया है और जिरह में उक्त तीनों ही साक्षीगण अपने उक्त कथनों पर भली भांति स्थिर रहे हैं और उनके कथनों में ऐसी कोई महत्वपूर्ण एवं सारवान अभिलेख पर नहीं आई है, जिसके आधार पर प्रतिवादी रनधीर सिंह प्र0सा0-1 के उक्त अभिवचनों तथा कथनों को अविश्वसनीय होना माना जा सके, बल्कि अभिलेख पर प्रतिवादी पक्ष की ओर से खसरा वर्ष 2013-14 प्र0डी0-1, किश्तबंदी खतौनी वर्ष 2013-14 प्र0डी0-2, तहसीलदार गोहद का आदेश प्र0डी0-3, सीमांकन प्रतिवेदन प्र0डी0-4, सीमांकन पंचनामा प्र0डी0-5 एवं सीमांकन संबंधी फील्ड बुक प्र0डी0-6 को पेश किया गया है, जिनके अवलोकन से भी प्रतिवादी पक्ष के उक्त अभिवचन तथा कथन पुष्ट होना पाये जाते हैं।

**18.** हस्तगत मामले में प्रतिवादी पक्ष द्वारा लिये गये उक्त बचाव के खंडन में वादी पक्ष की ओर से अभिलेख पर ऐसा कोई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी पेश नहीं किया

गया है, जिसके अवलोकन से प्रतिवादी पक्ष द्वारा मामले में संपादित सीमांकन कार्यवाही असत्य अथवा संदिग्ध होना प्रकट होती हो, जबकि वादी पक्ष द्वारा प्रश्नगत सीमांकन के संबंध में की गई आपत्ति को तहसीलदार गोहद द्वारा अपने आदेश दिनांकित 27.07.12 प्र0डी0-3 के द्वारा निरस्त करते हुये एवं प्रतिवादी पक्ष द्वारा कराई गई सीमांकन कार्यवाही को सही मानते हुये यह स्पष्ट रूप से लेख किया गया था कि वादी पक्ष अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के सर्वे क्रमांकों के सीमांकन कार्यवाही कराने के लिये स्वतंत्र हैं। इन सबके बावजूद वादी पक्ष द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य के वादग्रस्त सर्वे क्रमांकों के संबंध में कोई सीमांकन कार्यवाही संपादित नहीं कराई गई है, बल्कि उक्त संबंध में कोई प्रयास किया जाना भी दर्शित नहीं होता है एवं तहसीलदार गोहद अर्थात् सक्षम फोरम द्वारा प्रतिवादी पक्ष की सीमांकन कार्यवाही को वैध एवं सही होना माना गया है और तहसीलदार गोहद के आदेश से विधिवत सीमांकन कार्यवाही करने वाले राजस्व निरीक्षक विनोद सिंह तोमर प्र0सा0-3 ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान यह भी स्पष्ट रूप से प्रकट किया है कि उसने प्रश्नगत सीमांकन के समय पहुंचकर चौकीदार के जरिये पड़ोसी काश्तकारों को सूचना दी थी एवं उक्त सीमांकन के समय वादी पक्ष के परिवारजन उपस्थित थे। इस प्रकार मामले में प्रतिवादीगण द्वारा विधिवत सीमांकन कराये जाने एवं वादीगण द्वारा वादग्रस्त भूमि का सीमांकन नहीं कराये जाने से वादी पक्ष द्वारा इस संबंध में किये गये अभिवचन तथा कथन अस्वाभाविक होकर विश्वासप्रद नहीं पाये जाते हैं कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि सर्वे क्रमांक 485 व 684 पर लट्ट के बल पर कब्जा करने एवं उस पर वादीगण को बेदखल करने के लिये आमादा हैं।

**19.** उपरोक्त के अलावा हस्तगत मामले में यह भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि प्रतिपरीक्षण के दौरान पैरा क्रमांक 5 में स्वयं वादी प्रबल प्रताप सिंह वा0सा0-1 ने अपने अभिवचनों तथा कथनों के विपरीत यह प्रकट किया है कि उसका प्रतिवादीगण से कभी कोई झगडा नहीं हुआ है एवं यह स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि सीमांकन की रंजिश के कारण उसने दावा पेश किया है तथा पैरा क्रमांक 5 में प्रकट किया है कि उसने प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्वामित्व की उक्त वादग्रस्त भूमि का सीमांकन कराये जाने के संबंध में आपत्ति तहसीलदार के यहां पेश की थी, जो कि निरस्त हो गई है। अतः मामले में प्रतिवादी पक्ष द्वारा उपरोक्तानुसार ली गई प्रतिरक्षा सही होना पाई जाती है एवं उपरोक्त समस्त विवेचन सहित संभावना बाहुल्य सिद्धांत



के प्रकाश में मामले में स्वयं वादीगण की स्थिति आतिक्रामक की होना पाई जाने से यह स्पष्ट है कि वादीगण ने स्वच्छ हाथों से न्यायालय से सहायता की मांग नहीं की है और विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप ऐसे अतिक्रामक के पक्ष में स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। साथ ही यह भली भांति सुस्थापित किया जा चुका है कि वादीगण को अपना मामला स्वयं के बलबूते साबित करना होता है और उसे प्रतिवादी पक्ष के किसी कमजोरी का लाभ नहीं दिया जा सकता है।

**20.** अतः उपरोक्तानुसार प्रकरण में आई साक्ष्य से वादीगण/अपीलार्थीगण यह प्रमाणित करने में पूर्णतः असफल रहे हैं कि प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि पर से वादीगण को बलपूर्वक बेदखल करने पर आमादा हैं और ऐसी स्थिति में वादीगण चाही गई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं।

**21.** अतः उपरोक्त निष्कर्षित एवं विश्लेषित परिस्थितियों में यह निष्कर्ष निकलता है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से मात्र स्थाई निषेधाज्ञा की सहायता हेतु प्रस्तुत वाद को निरस्त करने का जो निष्कर्ष निकाला है वह साक्ष्य के समुचित मूल्यांकन पर आधारित होकर विधि के मान्य सिद्धांतों के अनुरूप है, जिसमें अपीलाधीन शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

**22.** परिणामतः अपीलार्थीगण/वादीगण की ओर से प्रस्तुत यह नियमित व्यवहार अपील सारहीन होने से निरस्त की जाकर विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री की पुष्टि की जाती है।

**23.** अपीलार्थीगण/वादीगण अपने स्वयं के साथ प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वहन करेंगे।

**24.** अभिभाषक शुल्क प्रमाणित होने पर रुपये 500/- की सीमा तक या सूची अनुसार, जो भी कम हो, आज्ञाप्ति में जोड़ा जावे।

तदनुसार आज्ञाप्ति तैयार की जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व मेरे निर्देशन पर टाईप किया गया।  
दिनांकित कर पारित किया गया।

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

(सतीश कुमार गुप्ता)  
प्रथम अपर जिला न्यायाधीश,  
गोहद, जिला भिण्ड

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि  
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)